पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 05.01.2018

अवैध रूप से एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे विजय कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा जौसगंज अजमेर पर मुल्जिम अजय उर्फ बोली पुत्र गोपाल जाति धोबी उम्र 35 साल निवासी रेल्वे क्वाटर नंबर 2035/सी जौसगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से एक धारदार चाकू पाया जाने पर धारदार चाकू को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरूद्व मुकदमा नं 05/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

ताश पत्ती से जुआ खेलते 2 मुल्जिम गिरफतार, 1240 रूपये जप्त

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार जुआ सटटा के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 04.01.18 की रात्री मे थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे भरत सिंह हैड कानि 1019 मय जाप्ता द्वारा कंचन नगर अजमेर पर दबिश मौके पर ताश पत्ती से रूपये हारजीत का दांव लगा कर जुआ खेल रहे मुल्जिमान 1–शाहरूख अली पुत्र छोटू अली जाति मुसलमान उम्र 21 साल निवासी दौराई पुलिस थाना गंज अजमेर 2– ललित कुमार पुत्र मणुझुमल जाति सिंधी उम्र 31 साल निवासी म0न0 2/178 कंचन नगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर को गिरफतार कर मुल्जिमान के कब्जे से 2140 रू व ताश पत्ती जप्त कर मु0न0 04/18 धारा 13 आरपीजीओ मे दर्ज किया गया।

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना अलवर गेट में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशो की पालना हरिपाल सिंह पु.नि. मय कुन्नाराम श्याम सिंह अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, सरकारी बोलेरो के सांयकालीन गश्त, चौकिंग बदमाशान व रोकथाम अपराध हेतु थाना अलवर गेट से रवाना होकर गश्त करते हुए मेयो लिंक रोड़ पहुॅचे जहॉ पर मुखबीर खास ने सूचना दी कि राबड़िया

मौहल्ला में हेमराज नाम का व्यक्ति अवैध शराब बैचने का काम करता है, जो सफेद प्लास्टिक के कट्टे में देशी शराब के पव्वे लेकर बैच रहा है, तुरन्त दबिश दी जावे तो पकड़ में आ सकता है, मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने पर हमराही जाप्ता को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर कुन्नाराम को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने के लिए रवाना किया, जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कोर्ट, पुलिस कार्यवाही में नहीं पड़ने व स्थानीय मामला होने से कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है । इस पर हमराही जाप्ता में से कुन्नाराम श्याम सिंह को गवाह मामूर कर मय हमराही जाप्ता के मेयो लिंक रोड़ से रवाना होकर राबड़िया मौहल्ला पहुॅचे, जहॉ पर एक मकान के बाहर मुखबीर के बताये अनुसार एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में प्लास्टिक कट्टा लिए खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस गाड़ी को आते देखकर प्लास्टिक कट्टा मौके पर ही छोड़कर भागने लगा जिसका मनैभ्् व हमराही जाप्ता ने पीछा किया लेकिन वह अन्धेरा का फायदा उठाकर कहीं मकानों में छिप गया जो काफी तलाश करने पर भी नहीं मिला। हमराही जाप्ता में से श्याम सिंह ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति हेमराज खटीक पुत्र स्व. प्रभूदयाल उर्फ पप्पी जाति खटीक निवासी राबड़िया मौहल्ला अजमेर है, जो थाना का हिस्ट्रीशीटर है व अवैध शराब बैचने का काम करता है, जिसको मैं जानता हूॅ । तत्पश्चात उक्त व्यक्ति हेमराज खटीक द्वारा भागते समय मौके पर छोड़े गये प्लास्टिक कट्टे को चौक किया तो कट्टे में देशी शराब घूॅमर के 50 80 क्षमता के कुल 53 प्लास्टिक पव्वे मिले जिन पर नीले रंग के ढक्कन लगे हुए है तथा लेबल व ढक्कन पर लिखा हुआ है । उक्त व्यक्ति हेमराज खटीक द्वारा बिना लाईसेन्स व परपीट के अपने कब्जे में अवैध देशी शराब रखना जुर्म धारा **19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950** के तहत दण्डनीय अपराध होने से शराब को बतौर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया जाकर आदि रिपोर्ट पर प्रकर.ा संख्या 10/18 धारा 19/54 राज0आबकारी

अधिनियम 1949 में दर्ज कर अनुसंधान सउनि हनुमान सिंह के जिम्मे किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया •या।

स्थायी गिरफतारी एक वारण्टी गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार पैण्डिंग स्थायी वारण्टी/299 सीआरपीसी/पीओ/मफरूर/गिरफतारी वारण्टीओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मन थानाधिकारी के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा थाना हाजा पर पैण्डिंग स्थायी वारण्टी अन्जन शर्मा पुत्र रमेश चंद जाति ब्राहम्मण

उम्र 42 साल निवासी जौंसगंज मैन रोड थाना रामगंज अजमेर आज दिनांक 04.01.18 को गिरफतार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 व्यक्ति गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर मुकेश उर्फ भरत कुमार पुत्र मोहन दास जाति सिंधी उम्र 30 साल निवासी यूआईटी कोलोनी अजयनगर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 2 गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर विक्रम पुत्र कमल जाति सांसी उम्र 30 साल निवासी सांसी बस्ती भगवागनंज थाना रामगंज अजमेर 2—आनन्द पुत्र कमल जाति सांसी उम्र 25 साल निवासी सांसी बस्ती भगवागनंज थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।